संख्याः /VII-3-18/43-एम0एस0एम0ई0/2016

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
पटेल नगर, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादून : दिनॉकः 11 अगस्त, 2018

विषयः– "थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना" की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

राज्य में शिल्प की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के सरंक्षण, संर्वद्धन, प्रदर्शन एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करने तथा राज्य की विभिन्न शिल्प इकाईयों द्वारा किये जा रहे उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्मित किये जाने, महिला शिल्पियों को स्वयं के व्यवसाय हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनकी आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त **"थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना"** प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

1. उद्देश्य :–

योजना का मुख्य उद्देश्य शिल्प की विभिन्न विधाओं में कौशल प्रदान करना/कौशल को उन्नत करना है, महिला शिल्पियों की उत्पादकता एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से उन्नत डिजाइन एवं गुणवत्ता सुधार का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनके लिये जीविका एवं आय सृजन में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करना है तथा महिला शिल्पियों को मास्टर क्राफ्टसमेन के रूप में प्रशिक्षित कर, शिल्पों के उन्नयन मे रोजगार से जोड़ा जाना होगा।

2. प्रशिक्षण का स्वरूप :–

योजनान्तर्गत राज्य की थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं के द्वारा सम्पादित किये जा रहे प्रचलित शिल्पों के साथ–साथ बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप परम्परागत एवं नवीन शिल्पों में विभिन्न डिजाइनों में नये उत्पाद विकसित होंगे तथा प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के कौशल में अभिवृद्धि होने के फलस्वरूप रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

3. प्रशिक्षण की अवधिः–

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो माह की होगी, जो एक माह में अधिकतम 25 दिन स्वीकार्य होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिदिन 05 घंटे के अनुसार कुल प्रशिक्षण अवधि 250 घंटे होगी।

4. पात्रताः–

राज्य में शिल्प क्षेत्र में कार्य करने वाली थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिला शिल्पी प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

5. <u>चयन की प्रकिया:–</u>

पात्र शिल्पियों के चयन हेतु निम्न प्रकार समिति गठित की जायेगी:–

1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र –अध्यक्ष
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी –सदस्य
3. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी –सदस्य

उक्त चयन समिति द्वारा जनपद स्तर पर मात्र महिला शिल्पियों को मानकों के अनुसार चयन कर सूची सहित विवरण अनुमोदन हेतु उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

6. <u>वित्तीय सहायता:–</u>

प्रशिक्षण अनुदान के लिये सांकेतिक व्यय की मदें निम्न प्रकार से होंगी:–

क्र.सं.	व्यय की मदें	कुल अनुमन्य व्यय (धनराशि रू0 में)
01	स्थान किराया तथा अवस्थापना (सेवाओं सहित) यदि लागू हो।	10,000.00
02	प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति (20 प्रशिक्षार्थियों हेतु रू0 150/– प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिदिन)। (150 x 20 x 50)	1,50,000.00
03	एक मास्टर क्राफ्टसमैन हेतु फीस (रू0 25,000.00 प्रति माह प्रति प्रशिक्षक)।	50,000.00
04	कच्चा माल के क्रय हेत ।	60,000.00
05	उपकरण एवं औजार/मशीनों हेतु किराया (जिस शिल्प में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यदि उस क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु मशीन को किराये पर लेने की आवश्यकता होने पर) यदि लागू हो।	40,000.00
06	विविध व्यय (स्टेशनरी, फोन, जलपान, प्रचार–प्रसार, मशीन मरम्मत, वीडियोग्राफी आदि)।	20,000.00
	योग:–	3,30,000.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित कुल धनराशि की सीमा तक आवश्यतानुसार एक मद से अन्य मद में उपयोग किया जा सकेगा।		

उक्त योजनान्तर्गत शिल्पियों द्वारा तैयार किये गये उत्पाद महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सरंक्षित रखे जायेंगे तथा इन उत्पादों के विपणन के उपरान्त प्राप्त धनराशि यूएचएचडीसी में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शिल्पियों के उपयोग हेतु रिवाल्विंग फण्ड के रूप में उपयोग करेंगे।

7. <u>विपणन प्रोत्साहन:–</u>

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिला शिल्पियों द्वारा विकसित किये जाने वाले उत्पादों को विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से Market Linkage हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगे:–

(i) जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले परम्परागत मेलों, प्रदर्शनियों एवं जिला हथकरघा प्रदर्शनियों में प्राथमिकता पर प्रतिभाग के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

(ii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से समय–समय पर राज्य/देश में आयोजित किये जाने कार्यक्रम/प्रदर्शनियां यथा क्राफ्ट बाजार, गांधी शिल्प बाजार, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो एवं नैशनल हैण्डलूम एक्सपो में उक्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षण लाभार्थियों द्वारा विकसित उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे। इन कार्यक्रम/प्रदर्शनियों के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले अन्य कार्यक्रम यथा क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, गोष्ठी एवं कार्यशालाओं के माध्यम से Market Linkage की व्यवस्था की जायेगी।

(iii) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन तथा अन्य विपणन के आयोजनों में स्थापित राज्य पैवेलियन/प्रायोजित स्टॉलों में विशेष रूप से स्थान आरक्षित कर, प्रतिभाग के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

(iv) प्रदर्शनी एवं मेलों में प्रतिभाग करने हेतु महिला शिल्पियों को प्रदर्शनी स्थल तक आने–जाने का न्यूनतम किराया, उत्पादों को लाने एवं ले जाने हेतु अधिकतम रू0 1,000.00 माल भाड़ा प्रति महिला शिल्पी एवं उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन हेतु स्टॉल किराया भी उक्त योजनान्तर्गत वहन किया जायेगा।

2. ये आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 551(1)/ VII-3-18/43-एम0एस0एम0ई0/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढवाल/कुँमाऊ, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड (नई योजनाये)

संख्याः 1536/VII-2/86-एम0एस0एम0ई0/2016

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
पटेल नगर, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनॉकः 08 नवम्बर, 2016

विषयः– " हथकरघा, कताई–बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना " की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मकारों को स्वयं का रोजगार स्थापित किये जाने हेतु हथकरघा/पिटलूम/फ्रेमलूम एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में प्रदेश की महिला कर्मकारों हेतु **"हथकरघा, कताई–बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना"** प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2. योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

1. <u>उद्देश्य</u> :–

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की ऐसी महिलाओं को सहयोग प्रदान करना है जो हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं अथवा उन्हें हथकरघा क्षेत्र का अनुभव है किन्तु स्वयं का करघा एवं अन्य उपकरण न होने की स्थिति में वे इस कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को करघा उपलब्ध कराकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते हुये उनकी वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2. <u>पात्रता</u> :–

योजनान्तर्गत पात्र महिला कर्मकारों के चयन हेतु निर्धारित मानक निम्न हैः–

(1) ऐसी महिला कर्मकार जिनका पैतृक व्यवसाय बुनकरी/कताई–बुनाई है।
(2) ऐसी महिला कर्मकार जिन्हें हथकरघा क्षेत्र का अनुभव है परन्तु करघा न होने की स्थिति में Weaving (बुनाई) कार्य सम्पादित नहीं कर पा रही है, को प्राथमिकता के आधार पर योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
(3) भारत सरकार/राज्य सरकार से पंजीकृत महिला कर्मकार।

3. <u>चयन की प्रक्रियाः–</u>

पात्र महिला कर्मकारों का चयन निम्नवत गठित समिति द्वारा किया जायेगा :–

(i) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र – अध्यक्ष।
(ii) जिला समाज कल्याण आधिकारी – सदस्य।
(iii) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी – सदस्य।
(iv) ग्राम्य विकास विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य।

उक्त चयन समिति द्वारा जनपद स्तर पर पात्र महिला कर्मकारों का मानकों के अनुसार चयन कर, सूची सहित विवरण अनुमोदन हेतु उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

4. <u>वित्तीय सहायताः–</u>

चयनित महिला कर्मकारों को हथकरघा/पिटलूम/फ्रेमलूम एवं अन्य उपकरणों आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकतम कुल वित्तीय सहायता ₹25,000.00 का 90 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी एवं अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन की जायेगी।

विभाग द्वारा पात्र महिला कर्मकारों को हथकरघा/पिटलूम/फ्रेमलूम एवं अन्य उकरण उपलब्ध किये जाने हेतु आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्मों को इम्पेनल (अनुबंधित) किया जायेगा। विभाग द्वारा अनुबंधित किये गये आपूर्तिकर्ता/फर्मों के माध्यम से ही लाभार्थियों को हथकरघा/पिटलूम/फ्रेमलूम उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभार्थी के चयन के उपरांत लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली 10 प्रतिशत धनराशि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में जमा की जायेगी। यह धनराशि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त पात्र महिला कर्मकारों को संबंधित उपकरण उपलब्ध कराये जाने के पश्चात विभाग द्वारा सीधे आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म के यथाप्रकिया एवं नियमानुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

चयनित महिला कर्मकारों को बुनकरी कार्य प्रारम्भ किये जाने के लिए धागा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से महिला कर्मकारों को मुद्रा योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं से आच्छादित किया जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड (नई योजनाये)

संख्याः (1)/ VII-2/86-एम0एस0एम0ई0/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुॅमाऊ, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
10. समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तरखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव–मा0 मंत्री, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड (नई योजनाये)

संख्याः 1791 / VII-2-16 / 226–एम0एस0एम0ई0 / 2015 टी0सी0 1

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
पटेल नगर, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादून : दिनॉकः 08 नवम्बर, 2016

विषयः– राज्य में "शिल्पियों हेतु पेंशन योजना" की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में हस्तशिल्प की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु शासन के सम्यक् विचारोपरांत राज्य में **"शिल्पियों हेतु पेंशन योजना"** प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) <u>योजना का उद्देश्यः–</u>

राज्य में हस्तशिल्प हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार हैं यह मुख्यतयः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसकी पहुंच पिछड़े एवं दुर्गम क्षेत्रों तक है। राज्य में हस्तशिल्प की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा शिल्पी पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे शिल्पियों, जो परम्परागत रूप से शिल्प क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं एवं उनकी जीविका का मुख्य स्त्रोत हस्तशिल्प से प्राप्त आय है, को सम्मान प्रदान करना है।

(ii) <u>पात्रताः–</u>

1 60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के ऐसे शिल्पी जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें ₹400.00 अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं सम्मान स्वरूप प्रदान किये जायेंगे।

2 शिल्पी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिये।

3 यदि किसी शिल्पी का पुत्र अथवा पौत्र 20 या उससे अधिक आयु का है, किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है तो अभ्यर्थी शिल्पी पेंशन हेतु पात्र होगा।

4 राज्य के ऐसे शिल्पी जो परम्परागत रूप से विभिन्न हस्तशिल्पों यथा पत्थर, लकड़ी, ताम्र, लोहा, ऐंपण, रिंगाल, बांस एवं प्राकृतिक रेशे से उत्पाद विकास आदि एवं जिन शिल्पों को शासन द्वारा समय–समय पर अनुमोदन किया जायेगा, उन शिल्पों में कार्य कर रहे शिल्पी योजना के पात्र होंगे।

(iii) चयन प्रकियाः–

राज्य के विभिन्न जनपदों में शिल्पियों के चयन हेतु संबंधित जनपद के सहायक प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की आख्या के आधार पर निम्न गठित समिति द्वारा शिल्पियों का चयन किया जायेगाः–

(iv) चयन समिति का स्वरूप

(i) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।

(ii) जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी।

(iii) जिला समाज कल्याण अधिकारी

(iv) जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग।

उक्त समिति द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों का परीक्षण किये जाने के उपरांत पात्र शिल्पियों के चयन हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

(v) पेंशन की मासिक दरः–

राज्य के ऐसे शिल्पी, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत ₹800.00 मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से अतिरिक्त ₹400.00 मासिक शिल्पी पेंशन प्रदान की जायेगी।

(vi) भुगतान की प्रकियाः–

शिल्पी पेंशन के अंतर्गत पेंशन का भुगतान त्रैमासिक रूप से बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे क्षेत्र, जिनमें सीबीएस बैंक शाखायें/डाकघर संचालित नहीं हैं, उस स्थिति में शिल्पियों की पेंशन मनीआर्डर द्वारा प्रेषित की जायेगी।

(vii) योजना का अनुश्रवणः–

शिल्पियों को योजना से आच्छादित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य स्तर पर निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर योजना का अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे पात्र शिल्पियों हेतु सुचारू–रूप से योजना का संचालन हो सके।

2 ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः–54/XXXVII(2)/2016 दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 में प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः (1)/ VII-2-16/226–एम0एस0एम0ई0/2015 टी0सी0 1, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4 आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 निजी सचिव–मा0 लघु उद्योग मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7 समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

संख्या :1199 / VII–2/15/78MSME/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक उद्योग,
   उद्योग निदेशालय,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक
   जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग — देहरादून : दिनांक 21 जुलाई 2015

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पारम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाए रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शिल्परत्न पुरस्कार योजना प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड में शिल्पियों के चयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. **चयन हेतु पात्रता** :–
   1. राज्य का कोई भी सिद्धहस्तशिल्पी जो असाधारण स्तर या विशिष्ट शिल्प कला में पारंगत हो और जिसने परम्परागत शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो।
   2. आवेदक उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिये (आवेदन के साथ उत्तराखण्ड निवास प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिये)।
   3. आवेदक की आयु 45 वर्ष से कम न हो।
   4. शिल्प क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष कार्य किया हो।
   5. कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।
2. **संख्या** :– योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 शिल्पियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

3. पुरस्कार का स्वरूपः– पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

4. प्रविष्टि आमंत्रणः–

(1) एमएसएमई विभाग द्वारा योजना की जानकारी एवं प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों जिनमें से एक समाचार पत्र हिन्दी संस्करण राष्ट्रीय स्तर का होगा, के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा पूर्ण भरा गया आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत की जायेंगी।

(3) आवेदन का वर्ष कैलेण्डर वर्ष होगा।

5. चयन हेतु मानक –

(1) पारम्परिक शिल्पों के क्षेत्र में योगदान।

(2) राष्ट्रीय/राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) परम्परागत शिल्प के विकास, तकनीकी सुधार एवं अभिनव उत्पादों के विकास में योगदान।

(4) शिल्पी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने में योगदान।

(5) पारम्परिक शिल्पों, जो लुप्त हो रहे हैं, के सरंक्षण एवं संवर्द्धन में योगदान।

(6) शिल्पी द्वारा तैयार कलाकृत्तियों की गुणवत्ता/उत्कृष्ठता।

(7) शिल्पी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को किसी संग्रहालय, मन्दिरों, कला समीक्षकों द्वारा क्रय किया गया है (क्रय के विवरण सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न किये जायें)।

नामांकन

ऐसे उत्कृष्ठ शिल्पी, जिन्होंने स्वयं उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं किया है, परन्तु जिला स्तरीय समिति उत्तराखण्ड शिल्व रत्न पुरस्कार के लिए संबंधित शिल्पी को नामांकन के लिए उपयुक्त समझती है, तो उसका नामांकन कर, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय समिति के विचार हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

उपरोक्त मानकों के आधार पर जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों का परीक्षण/निरीक्षण कर योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित उद्योग निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त संस्तुतियों/आवेदनों पर विचार कर शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।

6. चयन की प्रक्रिया

जनपद स्तरीय समिति पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति (Screening Committee) द्वारा प्राप्त आवेदनों का उक्त मानकों के अनुरूप निरीक्षण/परीक्षण कर, सुयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र चयनित करेगी।

(1) **जनपद स्तरीय स्क्रीनिंग समिति का स्वरूपः–**

1.	जिलाधिकारी	– अध्यक्ष
2.	समाज कल्याण अधिकारी	– सदस्य
3.	संबंधित जिले के ग्रामोद्योग अधिकारी	– सदस्य
4.	संबंधित जिले के महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	– सदस्य सचिव

(2) **राज्य स्तरीय समिति का स्वरूपः–**

1.	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन	– अध्यक्ष
2.	निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड	– सदस्य सचिव
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद	– सदस्य
4.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प/हथकरघा), भारत सरकार के प्रतिनिधि	– सदस्य
5.	हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र के विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिनिधि/डिजाइनर।	– सदस्य

7. पुरस्कार वितरण समारोह

पुरस्कृत शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जायेगा अथवा किसी प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा, ताकि पुरस्कृत शिल्पी को उसके कार्य की पूर्ण सराहना प्राप्त हो सके। प्रारम्भ में उक्त पुरस्कार योजना चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 से अग्रिम 05 वर्षों तक प्रतिवर्ष वितरित किया जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– 344 दिनांक 21 जुलाई, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

संलग्न :– आवेदन–पत्र का प्रारूप।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव